संख्या–904 /VI/2004–143 पर्य0/2002

प्रेषक,

ए0के0 घोष,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक पर्यटन,
पटेलनगर, देहरादून।

पर्यटन अनुभाग

देहरादून दिनांक 21 दिसम्बर, 2004

विषयः–चालू निर्माण कार्यो हेतु एक मुश्त धनराशि उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद के निवर्तन पर रखे जाने के विषयक शासनादेश संख्या–708/VI/2004–143/पर्य0/2002 दिनांक 8 अक्टूबर, 2004 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–708/VI/2004–143 पर्य0/2002 दिनांक 8 अक्टूबर, 2004 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उपरोक्त शासनादेश के प्रथम प्रस्तर में "उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद के स्वायत्तशासी स्वरूप को देखते हुये चालू निर्माण कार्यो के लिये वित्तीय वर्ष 2004–2005 के आयोजनागत आय व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख (रूपये एक पांच करोड़ मात्र) एक मुश्त उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद के उपयोगार्थ आपके निर्वतन पर रखे जाने" के स्थान पर " उक्त स्वीकृत धनराशि पर्यटन विभाग की चालू योजनाओं पर व्यय करने हेतु निदेशक, पर्यटन के निर्वतन पर रखी जाती है" पढ़ा जाय।

2– उपरोक्त शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जायं एवं शासनादेश की अन्य शर्ते यथावत् रहेंगी।

3–यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या–1996 वित्त अनुभाग–3/2004 दिनांक 09 दिसम्बर, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किया जा रहा है।

4–कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(ए0के0 घोष)
अपर सचिव

पृ0पत्र संख्या– /VI/ 2004–143 पर्य0/2002, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी उत्तरांचल, देहरादून।
2–वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3–निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर।
4–वित्त अनुभाग–3।
5–गार्ड फाईल।

आज्ञा से

18/12/04

(ए0के0 घोष)
अपर सचिव